

बकील शर्मा आदि। बकील
 शर्मा ने प्राप्ति प्रस्तुत कर विवेक
 किया है कि अपार्थी एवं 5, 6, 7 व 13
 वाहर रहते हैं। इन अपार्थीगण के
 विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं चाहेते हैं
 तथा शेष अपार्थीगण को उक्त प्रकरण
 में पाबंद फामाया जावे। यदि फत्रावली
 तलवी में निम्न रहती है तो अपार्थी
 एवं 1 का. 3 का. 3 के मिलकर कानूनी
 कृम में सफल हो जावेगे। अतः अपार्थी
 एवं 5, 6, 7 व 13 का नाम शीर्षक से
 हटाफ फामाया जावे। हमें बकील शर्मा
 को एक पक्षीय वहस हुनी एवं फत्रावली
 का अवलोकन किया / शर्मा का प्राप्ति
 स्वीकार प्रोज्ञ है। शर्मा प्राप्ति अपार्थी
 एवं 5, 6, 7 व 13 के स्वीकार किया जाता है।
 हमें बकील शर्मा को प्रार्थना पत्र
 अस्थाई निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय वहस
 हुनी। बाहरे आदेश प्राप्ति अस्थाई निषेध
 दिनांक 30.11.22 को पेश हो।

उपस्थंड अधिकारी
 महवा जिला बैसा

30.11.22

आज फत्रावली पेश हुई बकील
 शर्मा उपस्थित। शर्मा का प्रार्थना पत्र शर्मा
 किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा
 जाकर शामिल फत्रावली किया गया। फत्रावली
 फेसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।
 आदेश हुनाफ गया।

उपस्थंड अधिकारी